

**अनुदान संख्या 4 – आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,  
सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय  
GRANT No. 4 – MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY,  
UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)**

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -  (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	2970,30,00	2970,35,00	2538,41,68	-431,93,32
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				383,89,45

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—
1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:—

					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	231680.00	208929.90	204175.87	-4754.03
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	-22753.10			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	12131.00	2.00	..	-2.00
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-12131.00			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	46380.00	43682.66	43682.61
पु.	R.	-2697.34		
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	2500.00	1514.00	1513.38
पु.	R.	-986.00		

(I) ₹15658.00 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2021 तथा दिसंबर, 2021 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान) सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹13266.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) मुख्य शीर्ष "2210" — "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं — चिकित्सा की अन्य पद्धतियां — अन्य पद्धतियां — प्रधान मंत्री वृक्ष आयुष योजना" — ₹2200.00 लाख — स्कीम को अनुमोदन न मिलने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" —

(I) Provision of ₹15658.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in July, 2021 and December, 2021) remained wholly unutilised under sixteen heads, of these ₹13266.00 lakhs accounted for under the following major heads:—

(A) Major Head "2210" — "Urban Health Services — Other Systems of Medicine—Other Systems—Pradhan Mantri Vriksh AYUSH Yojana" — ₹2200.00 lakhs — due to non-approval of the scheme.

(B) Major Head "2552" —

- (क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां – अन्य पद्धतियां – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)" – ₹5000.00 लाख;
- (ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अन्य पद्धतियां – पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग" – ₹4654.00 लाख; और
- (ग) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – यूनानी – केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद" – ₹1412.00 लाख।

- (a) "Urban Health Services – Other Systems of Medicines – Other Systems – National AYUSH Mission (NAM)" – ₹5000.00 lakhs;
- (b) "Medical Education, Training and Research – Other Systems – North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong" – ₹4654.00 lakhs; and
- (c) "Medical Education, Training and Research – Unani – Grants to Central Council for Research in Unani Medicine" – ₹1412.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects / schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2210" – savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां" –

(A) "Urban Health Services – Other Systems of Medicine" –

(क) "निर्देशन और प्रशासन – सूचना, शिक्षा तथा संचार पर व्यय" – ₹1615.89 लाख की बचत (₹4620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रत्यक्ष कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration – Expenditure on Information, Education and Communication (IEC)" – saving of ₹1615.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4620.00 lakhs) was due to non-holding of physical event of International Day of Yoga owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "आयुर्वेद" –

(b) "Ayurveda" –

- (i) “केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली” – ₹1097.00 लाख की बचत (₹1187.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग में विद्यमान सांविधिक निकाय को मिलाए जाने और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों में किफायती उपाय लागू किए जाने के कारण हुई।
- (ii) “अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली” – ₹599.71 लाख की बचत (₹34887.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों में किफायती उपाय लागू किए जाने के कारण हुई।
- (गा) “अन्य पद्धतियां” –
- (i) “अनुसंधान संस्थान के जरिए बाह्य अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान (निजी/अर्द्ध सरकारी/सरकारी / विश्वविद्यालयों/गैर सरकारी संस्थाओं) आदि के लिए अनुदान” – ₹663.22 लाख की बचत (₹877.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयुर्ज्ञान के साथ इस स्कीम को मिलाए जाने के कारण हुई।
- (ii) “राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड” – ₹4335.30 लाख की बचत (₹6113.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सीय पौधों के संरक्षण, विकास तथा सतत प्रबंधन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत संचालन के लिए घटक को अलग किए जाने, जनशक्ति की कम संख्या में तैनाती और अन्य स्थापना संबंधी व्यय में किफायती उपाय लागू किए जाने के कारण हुई।
- (i) “Grants to Central Council of Indian Medicine, New Delhi” – saving of ₹1097.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1187.00 lakhs) was due to dissolution of existing statutory body to reconstitute National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) and adoption of economy measures in other establishment related expenses.
- (ii) “All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi” – saving of ₹599.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34887.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and adoption of economy measures in other establishment related expenses.
- (c) “Other Systems” –
- (i) “Grants for Extra Mural Research Projects through Research Institute (Pvt./Semi Govt./Govt./Universities/NGO) etc.” – saving of ₹663.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹877.00 lakhs) was due to merging of scheme with AYURGYAN.
- (ii) “National Medicinal Plants Board” – saving of ₹4335.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6113.00 lakhs) was due to separation of the component to operate under Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants, engagement of less number of manpower and adoption of economy measures in other establishment related expenses.

(iii) “राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)” – ₹808.59 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य कार्य योजना (एसएएपी) प्राप्त होने में विलंब के कारण हुई।

(iii) “National AYUSH Mission (NAM)” – saving of ₹808.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to delay in receipt of State Annual Action Plan (SAAPs) from some States/Union Territories owing to COVID-19 pandemic.

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान” –

(B) “Medical Education, Training and Research”–

(क) “आयुर्वेद” –

(a) “Ayurveda” –

(i) “राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को अनुदान” – ₹6792.42 लाख की बचत (₹26083.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(i) “Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur” – saving of ₹6792.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26083.00 lakhs);

(ii) “केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान” – ₹1088.45 लाख की बचत (मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹30627.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) “Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences” – saving of ₹1088.45 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹30627.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in March, 2022); and

(ख) “होम्योपैथी” –

(b) “Homoeopathy” –

(i) “राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता को अनुदान” – ₹3752.00 लाख की बचत (₹14812.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(i) “Grants to National Institute of Homoeopathy, Kolkata” – saving of ₹3752.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14812.00 lakhs);

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण परियोजनाओं और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to requirement of less funds towards construction projects and other establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic.

- (ii) “केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान” – ₹2989.93 लाख की बचत (₹16223.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और भुवनेश्वर तथा चेन्नई में भवनों के निर्माण को अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।
- (ग) “अन्य पद्धतियां” –
- (i) “आयुष शिक्षा/औषधि विकास और अनुसंधान/क्लीनिक रिसर्च/लोक चिकित्सा आदि में कार्यरत गैर सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केन्द्रों को सहायता” – ₹1297.53 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इसे नई स्कीम अर्थात् आयुस्वास्थ्य योजना में मिलाए जाने के कारण हुई।
- (ii) “चैंपियन सेवा सेक्टर स्कीम” – ₹13086.61 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयुष सुपर स्पेशलिटी अस्पताल/डे केयर केन्द्रों की स्थापना के लिए कम प्रस्ताव होने, कोविड-19 महामारी के कारण प्रत्यक्ष प्रशिक्षण पर प्रतिबंध होने के कारण स्कीम आरंभ नहीं किए जाने, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) द्वारा व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने, निविदा प्रक्रिया पूरी न होने और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर द्वारा कम निधियां इस्तेमाल किए जाने के कारण हुई।
- (ii) “Grants to Central Council for Research in Homoeopathy” – saving of ₹2989.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16223.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards other establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic and non-approval of construction of building at Bhubaneswar and Chennai.
- (c) “Other Systems” –
- (i) “Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in non-governmental /Private Sector engaged in AYUSH Education/Drug Development & Research/Clinical Research/Folk Medicine etc.” – saving of ₹1297.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs) was due to merging with new scheme namely Ayurswasthaya Yojana.
- (ii) “Champion Services Sector Scheme” – saving of ₹13086.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for establishment of Ayush Super Speciality Hospital/Day Care Centres, non-taking off of the scheme owing to restriction on physical training in wake of COVID-19 pandemic, non-receipt of viable proposals by All India Institute of Ayurveda (AIIA), non-completion of tendering process and utilisation of less funds by National Institute of Ayurveda, Jaipur.

(III) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित स्कीम – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)" – ₹2562.28 लाख की बचत (₹38780.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)" – ₹986.62 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड-19 महामारी के कारण कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से राज्य वार्षिक कार्य योजना (एस ए ए पी) प्राप्त होने में विलंब के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹711.58 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹14656.75 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2210" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत जुलाई, 2021, दिसंबर, 2021 तथा मार्च, 2022 में ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां" –

(क) "निर्देशन और प्रशासन – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन" – ₹4457.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2434.01 लाख था।

(ख) "आयुर्वेद – राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम)" – ₹1121.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹992.94 लाख था।

(III) Under Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share – National AYUSH Mission (NAM)" – saving of ₹2562.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38780.00 lakhs); and -

(IV) Under Major Head "3602" – "Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share – National AYUSH Mission (NAM)" – saving of ₹986.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in receipt of State Annual Action Plan (SAAPs) from some State/Union Territory Governments owing to COVID-19 pandemic.

(V) Under two heads savings of ₹711.58 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 11 percent and 90 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹14656.75 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹ 4.00 lakhs in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 under Major Head "2210" – under the following heads:–

(A) "Urban Health Services – Other Systems of Medicine" –

(a) "Direction and Administration – Promotion of International Cooperation" – ₹4457.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹ 2434.01 lakhs.

(b) "Ayurveda – National Commission for Indian System of Medicine (NCISM)" – ₹1121.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹992.94 lakhs.

- (ग) "होम्योपैथी" – "राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, (एनसीएच)" – ₹322.50 लाख।
- (घ) "अन्य पद्धतियां – औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केन्द्र क्षेत्र स्कीम" – ₹3122.22 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3122.16 लाख था।
- (खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – अन्य पद्धतियां" –
- (क) "राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान" – ₹1228.00 लाख।
- (ख) "पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान, पासिघाट" – ₹304.00 लाख।
- (ग) "आयुर्ज्ञान" – ₹457.53 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹448.08 लाख था।
- (घ) "आयुर्स्वास्थ्य योजना" – ₹3644.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, 3499.50 लाख था।
- (c) "Homoeopathy – National Commission for Homoeopathy (NCH)" – ₹322.50 lakhs.
- (d) "Other Systems – Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants" – ₹3122.22 lakhs. Actual excess, however, was ₹3122.16 lakhs.
- (B) "Medical Education, Training and Research– Other Systems" –
- (a) "Grants to National Institute of Naturopathy, Pune" – ₹1228.00 lakhs.
- (b) "North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat" – ₹304.00 lakhs.
- (c) "AYURGYAN" – ₹457.53 lakhs. Actual excess, however, was ₹448.08 lakhs.
- (d) "AYURSWASTHYA YOJANA" – ₹3644.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3499.50 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2210" – चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – अन्य पद्धतियां – पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹3349.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2210" – "Medical Education, Training and Research – Other Systems – North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong" – excess of ₹3349.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects / schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.